भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2980
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: असम में बांस की खेती
2980: श्री अमरसिंग टिस्सो:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास असम में बांस की खेती के विस्तार संबंधी आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण आजीविका पर इसका अनुवर्ती प्रभाव क्या होगा;
(ग) क्या कारीगरों और उद्यमियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) असम के बांस उत्पादों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के तहत, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री जुटाने के लिए वर्ष 2018-19 से असम में 10 बांस नर्सरियां स्थापित की गई हैं जिसके माध्यम से पौध (सैपलिंग) उत्पादन क्षमता बढ़कर 2.5 लाख प्रति वर्ष हो गई है। तब से, राज्य में 1856 हेक्टेयर क्षेत्र को बांस की खेती के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा, रिकार्डेड वनों में असम का कुल बेम्बू-बेयरिंग वाला क्षेत्र वर्ष 2021 में 10,659 वर्ग कि.मी. से बढ़कर वर्ष 2023 में 11246 वर्ग कि.मी. हो गया है।

(ग) एवं (घ) पुनर्संरचित एनबीएम, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए सम्पूर्ण बांस मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, तथा संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहलों के लिए सुविधाओं का सृजन शामिल है। किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। एनबीएम के तहत बांस आधारित मूल्यवर्धन इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता का पैटर्न अनुबंध-I में दिया गया है।

बांस उत्पादों के विपणन के लिए जीईएम पोर्टल पर बांस उत्पादों के लिए एक समर्पित पेज बनाया गया है। इसके अलावा, असम सहित राज्य बांस मिशन द्वारा कारीगरों और उद्यमियों को उनके उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने में सहायता करने के लिए जागरूकता अभियान, सेमिनार, कार्यशालाएं, बांस उत्सव और व्यापार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.2980

अनुबंध-I

योजना के तहत मूल्यवर्धन इकाइयां स्थापित करने के लिए कारीगरों और उद्यमियों को प्रदान की जा रही सहायता का पैटर्न (एनबीएम के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार)

क्र. सं.	**गतिविधियाँ**	**सूचक लागत सीमा (रुपये लाख में या जैसा बताया गया है), पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को 10% अतिरिक्त**	**सहायता का पैटर्न**
क	प्राथमिक प्रसंस्करण एवं एकत्रीकरण		
i.	बांस उपचार एवं मसाला संयंत्रों की स्थापना	25 (परियोजना आधारित)	सरकार को लागत का 100%, निजी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 50%, अधिकतम सांकेतिक लागत तक के अध्यधीन
ii.	बांस डिपो और गोदामों की स्थापना	60 (पीबी)	सरकारी क्षेत्र में लागत का 100%। निजी क्षेत्र के लिए 25% सहायता, अधिकतम सांकेतिक लागत तक के अध्यधीन ।
iii.	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) / प्रसंस्करण इकाई	50 (पीबी)	सरकारी क्षेत्र में लागत का 100%। निजी क्षेत्र के लिए 50% सहायता, अधिकतम सांकेतिक लागत तक के अध्यधीन ।
ख.	**एमएसएमई/विनिर्माण इकाइयों/एकीकृत बांस पार्क सहित नवाचारी कार्यकलाप**	18 लाख रुपये से 500 लाख रुपये तक	सरकार को लागत का 100%। निजी क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपये तक की घटक परियोजनाओं के लिए लागत का 50% और 1 करोड़ रुपये से अधिक की घटक परियोजना लागत के लिए 30%, अधिकतम सांकेतिक घटक लागत तक सीमित।
i.	बांस के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	40 (पीबी)	
ii.	हस्तशिल्प / कुटीर उद्योग एवं जीवन शैली उत्पाद	25 (पीबी)	.
iii.	फर्नीचर बनाना	30 (पीबी)	
iv.	आभूषण निर्माण	18 (पीबी)	
v.	बांस खाद्य प्रसंस्करण	30 (पीबी)	
vi.	अगरबत्ती बनाना	40 (पीबी)	
vii.	बांस चारकोल (लघु एवं मध्यम पैमाने) /बायोचार बनाने की इकाई	40 (पीबी)	
viii.	सौंदर्य एवं आरोग्य उत्पाद	25 (पीबी)	
ix.	उभरती हुई प्रौद्योगिकी का विस्तार [उद्यमी/क्षेत्रीय सरकारी अनुसंधान संस्थान और राज्य बांस मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन किया जा सकता है]	50 (पीबी)	
x.	मौजूदा लघु इकाइयों का उन्नयन	20 (पीबी)	
xi	फाइबर/फैबरिक एक्सट्रेक्शन	60 (पीबी)	
xii.	बांस बोर्ड/चटाई	500 (पीबी)	

	उत्पाद/नालीदार चादरें/फर्श-दीवार टाइल्स/लेमिनेट्स/लकड़ी/पार्टिकल बोर्ड/एमडीएफ/ओरिएंट स्ट्रैंड बोर्ड (ओएसबी)/आदि		
xiii.	संपीड़ित जैव ऊर्जा निष्कर्षण [अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैसिफायर की एमएनआरई योजना के मानदंडों के अनुसार]	200 (पीबी)	
xiv.	सक्रिय कार्बन उत्पाद निर्माण/बड़े पैमाने पर चारकोल उत्पादन (प्रति बैच 2-3 टी)	240 (पीबी)	
xv.	Bamboo Pellets, कणिकाएं, मिश्रित और ढाले हुए उत्पाद	500 (पीबी)	
xvi	मौजूदा मध्यम और बड़ी इकाइयों का उन्नयन	200 (पीबी)	
ग.	**बांस बाजार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रचार और विकास**		सरकारी क्षेत्र में लागत का 100%। निजी क्षेत्र में अधिकतम सांकेतिक लागत तक 25% सहायता।
i.	सरकारी/निजी क्षेत्र में बांस मंडी (बांस बाजार स्थल) और ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देना	120 (पीबी)	
ii.	बांस बाजार/बांस हाट/खुदरा दुकान।	25 (पीबी)	
iii.	बांस निर्माण (फर्नीचर, भवन, घरेलू सामान आदि)	25 लाख रुपये/ स्ट्रक्चर (पीबी)	100% केवल सरकारी निर्माण के लिए।
घ	**कौशल विकास**		कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों/सेक्टर कौशल परिषदों की अनुमोदित दरों के अनुसार। पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए दरों का उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय किया जा सकता है।
1.	किसानों/कारीगरों/उद्यमियों/ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/एनबीएम कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण/प्रदर्शन दौरा।	सरकारी/सार्वजनिक संस्थान की अनुमोदित दरों के अनुसार परियोजना आधारित	
i.	राज्य के अन्दर	1000/व्यक्ति/दिन या अनुमोदित दरों के अनुसार	100% सहायता
ii.	राज्य के बाहर	परियोजना आधारित	100% सहायता। अधिकतम 7 दिनों के लिए।
iii	भारत के बाहर	1.50 लाख रु. तक / प्रतिभागी	पाठ्यक्रम शुल्क लागत मिशन प्रबंधन के तहत वित्त पोषित की जाएगी। हवाई/रेल यात्रा पर 100% आर्थिक सहायता।

ड.	**आईईसी: सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रदर्शनियां/बांस महोत्सव/व्यापार मेला आदि (आबंटन का 5% तक)**		
1.	**किसानों/कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों/उद्यमियों/नवप्रवर्तकों आदि की भागीदारी/प्रायोजन।**		सरकार के लिए 100%।
i.	अंतरराष्ट्रीय स्तर	परियोजना आधारित अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति आयोजन	
ii.	राष्ट्रीय स्तर	परियोजना आधारित अधिकतम 6 लाख रुपये प्रति आयोजन	
iii.	राज्य स्तर	परियोजना आधारित अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति आयोजन	
2	**सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रदर्शनियां/बांस महोत्सव/व्यापार मेले का आयोजन/प्रायोजन**		सरकारी/औद्योगिक एसोसिएशन/निकायों के लिए 100%।
i.	राष्ट्रीय स्तर	परियोजना आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक।	
ii	राज्य स्तर	परियोजना आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक।	

****